प्रेस नोट **दिनांक 04.05.2026**

"मॉडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, हटर, सायरन" के विरुद्ध चलाया गया विशेष अभियान-

श्रीमान् निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में जन एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद मऊ में "मॉडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, हूटर, सायरन" के विरुद्ध दिनांक 02.05.2026 से 03.05.2026 तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जनपद के समस्त थानों व यातायात पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गयी जिसके अन्तर्गत कृत प्रवर्तन की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

मॉडिफाइड साइलेन्सर में 156 चालान, प्रेशर हॉर्न में 88 चालान तथा हूटर में 01 चालान सहित कुल 245 चालान कर 1046000/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा 02 वाहनों को सीज किया गया।

उक्त के अतिरिक्त जनपद में साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, हूटर, सायरन आदि की खरीद/बिक्री करने वाले 09 दुकानदारों को नोटिस दी गयी तथा हिदायत दी गयी कि भविष्य में साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, हूटर, सायरन आदि की खरीद/बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गुमशुदा 04 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 71000 रुपये) बरामद कर उनके मालिकों को किया गया सुपुर्द -

आज दिनांक 04.05.2026 को थाना मधुबन जनपद मऊ पर पूर्व में गुम हुए मोबाइल जिनकी गुमशुदगी थाना मधुबन जनपद मऊ पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर गुमदुगी दर्ज कर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के अनुपालन में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय मधुबन,मऊ के कुशल निर्देशन व श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना मधुबन के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन की साईबर टीम द्वारा निम्नांकित आवेदकगण के मोबाइलों को भारत सरकार द्वारा जारी CEIR PORTAL के माध्यम से बरामद कर उनके वास्तविक स्वामी को सुपुर्द किया गया।

आवेदकगण

1. मधु सिंह पुत्र भगवान सा0 शीतलपुर बीबीपुर मधुबन जनपद मऊ
मोबाइल- POCCO कीमत 16000रू0 की **गुम स्थान**--- बीबीपुर
2. जितेन्द्र पुत्र हरिन्द्र सा0 नुरूल्लाहपुर मधुबन जनपद मऊ
मोबाइल- vivo कीमत 18000रू0 की **गुम स्थान**--- नुरूल्लाहपुर
3. अजय कुमार पुत्र राममूरत सा0 मिश्रौली थाना मधुबन जनपद मऊ
मोबाइल- OPPO कीमत 19000रू0 की **गुम स्थान**--- कस्बा मधुबन
4. अमित कुमार पुत्र शस्त्रुधन प्रसाद सा0 हकारीपुर पो0 परसूपुर थाना मधुबन जनपद मऊ
मोबाइल- vivo कीमत 18000रू0 की **गुम स्थान**--- कटघराशंकर

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये 15133 /- (पन्द्रह हजार एक सौ तैतिस) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये 15133 /- (पन्द्रह हजार एक सौ तैतिस) रुपये पीड़िता फातिमा पत्नी मसूद आलम थाना कोपागंज, जनपद मऊ की सम्पूर्ण धनराशि 15133/- अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है बस जागरुक रहकर साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण बिभिन्न थानों द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 04.05.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त ललित कुमार पुत्र हरिलाल निवासी रैनी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 04.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 43 टीम गठित कर जनपद के 48 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1200 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 437 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।